

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)  
पीठासीन अधिकारी - नरेश बुनकर, RAS

(28)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 04/2022

रजिस्ट्रेशन नं. :2022/1

राजस्थान राज्य जरिये  
खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
बांसवाड़ा (राज)

बनाम

अभियुक्त :-

श्री माधुसिंह पुत्र श्री डोलसिंह जी राजपुत  
मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार, ग्रामीण बैंक  
के पास, हनुमान मन्दिर रोड, अरथुना,  
जिला बांसवाड़ा (राज.)

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक  
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 15.02.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 19-01-2022 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 19-08-2021 को 2.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार, ग्रामीण बैंक के पास, हनुमान मन्दिर रोड, अरथुना पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री माधुसिंह पुत्र श्री डोलसिंह जी राजपुत उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर करीब 5-6 कि०ग्रा० कलाकन्द (दुध व चीनी से बनी मिठाई) आम जनता को विक्रय हेतु पाया। इसमें सब स्टेण्डर्ड, अनसेफ का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए आम जनता को बिक्री हेतु रखा करीब 5-6 कि०ग्रा० कलाकन्द (दुध व चीनी से बनी मिठाई) में से 2 कि०ग्रा० वास्ते नमुना जाँच हेतु साफ, सुखी एवं खाली स्टील के भगोने में खरीदा तथा इनकी कीमत 600 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जाँच हेतु खरीदशुदा 2 कि०ग्रा० कलाकन्द (दुध व चीनी से बनी मिठाई) को एक रुप कर, सुखे व साफ खाली काँच की शिशी में बराबर-बराबर (प्रत्येक में करीब 500 ग्राम) भरकर फार्मेलीन की 40-40 वूंद प्रत्येक में डालकर शिशी का मुह ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टाईड बन्द कर नियमानुसार सील बन्द किया। उक्त चार नमुना भागों में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जाँच हेतु खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाड़ा को जमा करवाया।




न्याय निर्णयन अधिकारी  
(अति.जिला कलक्टर)  
बांसवाड़ा (राज.)

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2021/212-13 दिनांक 21.09.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 150 दिनांक 31.08.2021 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया कलाकन्द (दुध व चीनी से बनी मिठाई) का नमूना अनसेफ Contains exterior fat and extraneous matter (Starch) in place of milk fat and milk ingredients. Hence it is declare unsafe food under section 3(1)(ZZ)(iv)(v) and (xi) of food safety and standards Act 2006 पाया गया। अप्रार्थी द्वारा खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरुद्ध अपील अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी बॉसवाडा के समक्ष प्रस्तुत करने पर नमूने का द्वितीय भाग रेफरल फूड लेबोरेट्री को पुनः जांच हेतु भिजवाया गया। निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री मैसुर के विश्लेषण सर्टिफिकेट नं. FT/AQCL/FSSA (107OF)/2021 दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नमूना कलाकन्द (दुध व चीनी से बनी मिठाई) सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। चूंकि नियमानुसार रेफरल फूड लेबोरेट्री से जांच रिपोर्ट अन्तिम है। विक्रेता द्वारा कलाकन्द (दुध व चीनी से बनी मिठाई) सबस्टेण्डर्ड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 20-01-2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 15.02.2022 को अभियुक्त श्री माधुसिंह पुत्र श्री डोलसिंह जी राजपुत ने न्यायालय में उपस्थित होकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।


हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री मैसुर के विश्लेषण सर्टिफिकेट नं. FT/AQCL/FSSA (107OF)/2021 दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नमूना कलाकन्द (दुध व चीनी से बनी मिठाई) सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। चूंकि नियमानुसार रेफरल फूड लेबोरेट्री से जांच रिपोर्ट अन्तिम है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।



*(Signature)*  
 न्याय निर्णयन अधिकारी  
 (अति. जिला कलान्टर)  
 बॉसवाडा (राज.)

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड किया कलाकन्द (दुध व चीनी से बनी मिठाई) को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन किया है आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर श्री माधुसिंह पुत्र श्री डोलसिंह जी राजपुत मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार, ग्रामीण बैंक के पास, हनुमान मन्दिर रोड, अस्थुना, जिला बाँसवाडा को रूपये 15,000/- (अक्षरे रू. पन्द्रह हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाँसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2022 खुले न्यायालय सुनाया गया।



*(Handwritten Signature)*  
 ( नरेश बुचकर )  
 न्याय निर्णयन अधिकारी  
 (अति. जिला कलेक्टर)  
 बाँसवाड़ा (राज.)